न्यायालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश,प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — श्री हेमन्त कुमार जैन
आरएचजेएस

सेशन प्रकरण संख्या — 179/2013

राजस्थान राज्य सरकार

ब ना म

श्री राजू खां पिता रूस्तम खां मुसलमान निवासी पठान मोहल्ला धरियावद
--अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा-363,366 भारतीय दण्ड संहिता
धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालाकों का संरक्षण अधिनियम
व धारा-3(i)(xii) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम

उपस्थितिः-
01-श्री तरूणदास बैरागी-लोक अभियोजक,राज्य पक्ष
02-श्री सी0पी0सिंह-अधिवक्ता,अभियुक्त पक्ष

::: नि र्ण य ::: दिनांक-01/04/2016

01- थानाधिकारी धरियावद द्वारा दिनांक-8/10/2013 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरियावद के न्यायालय में अभियुक्त राजु खां के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363,366, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-3/4 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-3(xii) के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिस आरोपों के अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय पाये जाने पर इस न्यायालय को उपार्पित किया गया। प्रस्तुत हुए आरोप पत्र के अनुसार उपरोक्त अपराध के अन्तर्गत बाल अपचारी सुफियान के विरूद्ध मामला किशोर न्याय बोर्ड,प्रतापगढ़ में प्रस्तुत किया गया है।

02- संगत तथ्य प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-10/7/2013 को परिवादी राजु की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी जिसके अनुसार दिनांक-9/7/2013 को सुबह साढे आठ बजे उसकी नाबालिग पुत्री (प्रथम पीड़िता) व दिलीप मेहता की पुत्री (द्वितीय पीड़िता) घर से पशु चिकित्सालय रोड़ पर जा रही थी कि रास्ते में राजु पिता रूस्तम व सुफियान पिता मोहसीन जोर जबरदस्ती से दोनों बच्चियों को गाडी में मुंह दबा कर अपहरित कर ले गये। उसने व दिलीप ने तलाश की तो पता चला कि कुल्जर गाडी, जिसका चालक भैरूलाल पिता उदयलाल है, में दोनों अभियुक्त उनकी नाबालिग पुत्रियों को अगवा कर ले गये है।... आदि।

03- न्यायालय द्वारा जब अभियुक्त राजु खां को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363 तथा 366, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-3/4 व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-3(xii) के अन्तर्गत आरोप विरचित कर सुनाया गया तो उसने अपराध करने से इन्कार करते हुए अन्वीक्षा की मांग की।

04- आरोपों को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से पी0ड0-1 प्रथम पीड़िता, पी0ड0-2 राजु, पी0ड0-3 श्रीमति सागर, पी0ड0-4 डाक्टर ओ0पी0 दायमा, पी0ड0-5 नेमीचन्द, पी0ड0-6 द्वितीय पीड़िता, पी0ड0-7 गणेश, पी0ड0-8 दिलीप, पी0ड0-9 श्रीमति राजु देवी तथा पी0ड0-10 भरतलाल मीणा के कथन लेखबद्ध करवाते हुए दस्तावेजात पर प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-23 अंकित करवाये गये।

05- अभियुक्त की परीक्षा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अन्तर्गत हुई तो उसने झूंठा मामला दर्ज करवाने के आरोप लगाते हुए बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

06- उभयपक्षों के अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ निम्न बिन्दू उत्पन्न होते हैं-

(1) क्या दिनांक-9/7/2013 को सुबह साढे आठ बजे ग्राम धरियावद से यह जानते हुए कि आप अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य नहीं है,बाल अपचारी सुफियान के सहयोग से अनुसूचित जाति के परिवादी राजू की नाबालिग पुत्री प्रथम पीड़िता एंव उसके साथ रही दिलीप मेहता की नाबालिग पुत्री द्वितीय पीड़िता को उनके विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के बिना अयुक्त सम्भोग का विषय बनाने के आशय से जबरन पकड़ कर ले जाने के उपरांत अभियुक्त राजु खां द्वारा प्रथम पीड़िता के साथ लैंगिक सम्भोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला किया?

(2) यदि अभियुक्त ने उपरोक्त कृत्य किया, तो कौन सा अपराध घटित हुआ तथा उसके लिये उचित दण्ड क्या होगा?

07- दौराने बहस अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि इस न्यायालय में अन्वीक्षाधीन अभियुक्त राजु खां के विरूद्ध परिवादी राजु की नाबालिग पुत्री प्रथम पीड़िता को व्यपहरित कर ले जाने के उपरांत लैंगिक सम्भोग करने के आरोप है परन्तु प्रथम पीड़िता, उसका पिता परिवादी राजु व माता श्रीमति सागर पक्षद्रोही हुए है जिन्होने घटना घटित होने से इन्कार कर दिया है। पीड़िता की उम्र सम्बन्धी चिकित्सीय जांच डाक्टर ओ.पी. दायमा द्वारा नहीं की गई है एंव चिकित्सीय प्रतिवेदन के अनुसार पीड़िता के शरीर व गुप्तांगों पर संघर्ष व प्रतिरोध स्वरूप कोई चोटें नहीं पायी गई है। प्रथम पीड़िता द्वारा अभियुक्त की शिनाख्तगी भी नहीं की गई है। अनुसंधान अधिकारी ने भी पीड़िता के शरीर के किसी भाग पर चोंट आदि नहीं पाने का कथन किया है। द्वितीय पीड़िता द्वारा उसके प्रति बाल अपचारी सुफियान द्वारा किये गये कृत्य से सम्बन्धित कथन किया गया है जिसका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है। द्वितीय पीड़िता के पिता दिलीप ने अपनी साक्ष्य में राजु खां का घटनाक्रम में शामिल होने से इन्कार कर दिया है। अन्य कोई साक्ष्य अभियुक्त को अपराध से जोडने बाबत प्रस्तुत नहीं हुई है। योग्य लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए जाहिर किया गया कि द्वितीय पीड़िता द्वारा सकारात्मक रूप से घटना की ताईद करते हुए साक्ष्य प्रकट की है जो घटना के समय 12 वर्ष आयु की रही है ऐसी स्थिति में द्वितीय पीड़िता की साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रमाणित होते है।

08- प्रस्तुत हुई साक्ष्य का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन निम्न प्रकार है-

<u>बिन्दू संख्या-1-</u>

09- पी0ड0-1 प्रथम पीड़िता का साक्ष्य है कि कथन लेखबद्ध होने से लगभग नौ माह पूर्व सुबह आठ बजे वह स्कूल जा रही थी। वह अपने मम्मी पापा को बताये बिना अकेली मामा के वहां मानागांव चली गई थी जंहा से अगले दिन सुबह वापस आ गई थी। अभियुक्त राजु खां द्वारा जबरन ले जाने के उपरांत

लैंगिक सम्भोग करने के तथ्य से इन्कार कर देने पर लोक अभियोजक द्वारा इसे पक्षद्रोही घोषित करवाया गया। इस साक्षीया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 के अन्तर्गत कथन प्रदर्श पी-2 लेखबद्ध होना, पुसि द्वारा प्रदर्श पी-3 के जरिये उसकी अण्डरवीयर को जब्त करना एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी जांच करते हुए प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 तैयार करना व इन पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

10- पी0ड0-2 राजु, परिवादी एवं प्रथम पीड़िता का पिता है, ने कथन किया कि वह द्वितीय पीड़िता को नहीं जानता है। उसकी पुत्री बिना बताये अपने मामा के वहां मानागांव चली गई थी जिसने दूसरे दिन घर आकर बताया था कि वह मामा के यहां चली गई थी। इस गवाह ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 पेश करना व इसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 संस्थित होकर पुलिस द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 तैयार करना जाहिर किया है परन्तु अभियुक्त राजु खां द्वारा पीड़िता का अपहरण करने के उपरांत सम्भोग करने से इन्कार कर देने पर लोक अभियोजक द्वारा इसे पक्षद्रोही घोषित करवा दिया गया। पी0ड0-3 श्रीमति सागर परिवादी की पत्नी एंव पीड़िता की माता है जिसने भी पुत्री का बिना बताये मामा के वहां चले जाना व दूसरे दिन वापस आने पर कोई बात बताने से इन्कार किया है। अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर लोक अभियोजक द्वारा इसे पक्षद्रोही घोषित करवा दिया गया।

11- पी0ड0-4 डाक्टर ओ0पी0 दायमा के अनुसार दिनांक-11/7/2013 को प्रथम पीड़िता की बलात्कार सम्बन्धी जांच डाक्टर निलम शुक्ला द्वारा करते हुए वेजाईनल स्वाब की स्लाईड तैयार की थी व जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 तैयार हुआ था। द्वितीय पीड़िता की बलात्कार सम्बन्धी जांच भी डाक्टर निलम शुक्ला द्वारा करते हुए वेजाईनल स्वाब की स्लाईड की गई थी जिसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 तैयार हुआ था। उसके द्वारा सुफियान एवं राजु खां के पुरूषत्व की चिकित्सीय जांच करते हुए प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 व 12 तैयार किये गये थे। गवाह के अनुसार तैयार हुए नमूनों को प्रदर्श पी-13 से 16 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु भिजवाये थे।

12- पी0ड0-5 नेमीचन्द के अनुसार उसने ब्यावर स्थित पडौसी शोभागमल उर्फ सुभाष के घर पर सुफियान एंव राजु को दो लडकियों के साथ रहते हुए नहीं देखा था। घटनाक्रम का समर्थन नहीं करने पर लोक अभियोजक द्वारा इसे पक्षद्रोही घोषित करवाया तो इसने फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

13- पी0ड0-6 द्वितीय पीड़िता का साक्ष्य है कि वह राजु खां को नहीं जानती है । दिनांक-9/7/2013 को सुबह साढे आठ बजे वह दुकान से मेगी लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में दो व्यक्ति, एक चालक तथा एक कूजर गाडी खड़ी थी। सुफियान ने हाथ पकड़ते हुए उसे जबरन गाड़ी में बिठाया और गाड़ी रवाना कर दी। आशीष स्कूल के सामने वाली रोड़ पर राजु द्वारा गाड़ी को रूकवाया गया व उसमें प्रथम पीड़िता को लेकर बैठ गया। यह लोग उन्हें ब्यावर की एक कॉलोनी में ले गये जंहा राजु प्रथम पीड़िता को लेकर छत पर चला गया तथा सुफियान ने उसे कमरे में ले जाने के उपरांत छेड़छाड़ करते हुए कपड़े खोल कर बलात्कार किया। दूसरे दिन सुबह उसके मम्मी पापा व भुआ शांतिबाई आ गये थे। इस गवाह ने स्वयं की जन्म तिथि 12/1/2000 होना तथा उसकी बलात्कार सम्बन्धी जांच होकर रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 तैयार होना प्रकट करते हुए जाहिर किया कि पुलिस ने ब्यावर स्थित मकान पर लिखापढी कर नक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था एवं उसकी छठी कक्षा की अंकतालिका प्रदर्श पी-18 प्राप्त की थी।

14- पी0ड0-7 गणेश ने फर्द जब्ती अण्डरवीयर प्रदर्श पी-19 की कार्यवाही स्वयं के समक्ष होना व फर्द पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है।

15- पी0ड0-8 दिलीप मेहता का साक्ष्य है कि कथन लेखबद्ध होने से डेढ़-पोने दो वर्ष पूर्व सुबह आठ साढ़े आठ बजे पत्नी ने उसे फोन पर सूचना दी कि द्वितीय पीड़िता मेगी लेने बाजार गई थी जो वापिस घर नहीं पहुंची। उसने घर जाकर आस पास तलाश की तो पता चला कि एक कूजर गाड़ी में एक बच्ची बैठी होकर वह गाड़ी बानसी की तरफ जाते हुए देखी गई जिसमें दो लड़के थे। उसने तलाश कर कूजर गाड़ी के चालक भैरूलाल को फोन किया तो उसने दो बच्चियों को ब्यावर छोड़कर आना बताया। वह अपने मित्रों व बहिन के साथ सरदार कालोनी यादव नगर ब्यावर पहुंचा तो बहिन शांता की नजर द्वितीय पीड़िता पर पड़ी जिसके चिल्लाने पर वे गये तो एक कमरे में राजु खां व प्रथम पीड़िता थे एवं एक कमरे से सुफियान निकल कर आया जिसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह छत से कूद कर भाग गया। उसकी पुत्री ने बताया कि सुफियान ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया था। प्रथम पीड़िता द्वारा उसे कुछ नहीं बताया गया था। उसकी पुत्री आठवीं कक्षा में अध्ययनरत होकर उम्र 12 वर्ष थी। गवाह ने फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी-7 तैयार करना, पुत्री का प्रगति पत्र प्रदर्श पी-18 होना एवं अटेची व कपड़ों को प्रदर्श पी-20 के जरिये जब्त करना बताते हुए इन पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किये है। पी0ड0-9 राजुदेवी ने भी इसी प्रकार साक्ष्य जाहिर किया की द्वितीय पीड़िता मेगी लेकर वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई जिस पर प्रथम पीड़िता, राजु, सुफियान द्वारा उसे ब्यावर ले जाने की जानकारी मिलने पर वे ब्यावर से पुत्री को लेकर आये जिसने सुफियान द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने के बारे में बताया था।

16- पी0ड0-10 भरतलाल मीणा ने इस प्रकरण का अनुसंधान प्राप्त होने पर गवाहान के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। पीड़िताओं के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध करवाने हेतु तहरीर प्रदर्श पी-21 जारी की। प्रथम व द्वितीय पीड़िता की अण्डरवीयर को प्रदर्श पी-3 व प्रदर्श पी-19 के जरिये जब्त किया। अभियुक्त राजु को प्रदर्श पी-22 व सुफियान को प्रदर्श पी-23 के जरिये गिरफ्तार किया था। इस साक्षी ने रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 व प्रथम सूचना प्रदर्श पी-6 होना जाहिर करते हुए उक्त फर्दो पर स्वयं व सम्बन्धित के हस्ताक्षर प्रकट किये है।

17- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 के अनुसार दिनांक-9/7/2013 को सुबह साढे आठ बजे पशु चिकित्सालय रोड़ पर जाती हुई परिवादी राजु मेघवाल व दिलीप मेहता की नाबालिग पुत्रियों को राजु व सुफियान द्वारा जोर जबरदस्तीपूर्वक गाड़ी में बिठाते हुए अपहरण कर ले जाने के आरोप लगाये गये है। प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन एंव विश्लेषण करने से पूर्व यह उल्लेखित करना समीचीन होगा कि अभियोजन घटनाक्रम के अनुसार परिवादी राजु मेघवाल की नाबालिग पुत्री प्रथम पीड़िता को अभियुक्त राजु खां द्वारा एवं दिलीप मेहता की नाबालिग पुत्री द्वितीय पीड़िता को सुफियान द्वारा जोर जबरदस्तीपूर्वक एक ही वाहन में अपहरित कर ले जाने के उपरांत उनके साथ लैंगिक सम्भोग करना बताया गया है। द्वितीय पीड़िता के प्रति किये गये अपराध का आरोप सुफियान नामक बाल अपचारी पर है जिसके सन्दर्भ में विचारण प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड में किया जा रहा है एंव हस्तगत मामला अभियुक्त राजु के सन्दर्भ में विचाराधीन है।

18- वर्तमान अभियुक्त राजु खां के सन्दर्भ में साक्ष्य का विश्लेषण करने से पूर्व यह भी अंकित करना उचित होगा कि परिवादी एवं प्रथम पीड़िता मेघवाल जाति से सम्बन्धित होकर अनुसूचित जाति के सदस्य

है एवं अभियुक्त राजु खां इस्लाम धर्म का अनुयायी है, जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्ध नहीं रखता है। यह भी उल्लेखनीय है कि द्वितीय पीड़िता की स्कूल अंकतालिका प्रदर्शपी-18 के अनुसार उसकी जन्म तिथि 12/1/2000 तथा प्रथम पीड़िता की स्कूल अंकतालिका (अप्रदर्शित) के अनुसार उसकी जन्म तिथि 26/8/2000 अंकित है। इन तथ्यों का कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से अभिलेख पर नहीं हो पाया है अतः वक्त घटना दोनों पीड़िताओं का 18 वर्ष से कम आयु की रहना निर्धारित किये जाने बाबत कोई तथ्य विवादित नहीं हो सकता है।

19- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये घटनाक्रम का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहा है एवं जिस कूजर गाडी में अपहरण की घटना को कारित करना बताया गया है उसके नामजद चालक भैरूलाल पिता उदयलाल निवासी आख्याखेडा मानपुर से अनुसंधान अधिकारी द्वारा न तो कोई अनुसंधान किया गया है एंव न ही घटना में प्रयुक्त कूजर गाडी को जब्त ही किया गया है और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से कूजर गाडी के चालक को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, जो घटनाक्रम की कड़ी के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट कर सकता था परन्तु इससे अनुसंधान नहीं करने अथवा इसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करने का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष प्रकट नहीं कर पाया है, जो बिन्दू प्रकरण की परिस्थितियों में अभियोजन के लिये घातक पाया जाता है।

20- प्रथम पीड़िता पी0ड0-1 ने स्पष्ट साक्ष्य ज़ाहिर की है कि वह घर से स्कूल के लिये निकली थी पर माता पिता को बताये बिना अपने मामा के वहां मानागांव चली गई थी जंहा से दूसरे दिन सुबह घर आई थी। इसके पिता राजु मेघवाल परिवादी पी0ड0-2 व माता पी0ड0-3 श्रीमति सागर ने भी इसी प्रकार के कथन प्रकट किये है कि उनकी पुत्री बिना बताये अपने मामा के वहां चली गई थी जो दूसरे वापस आ गई थी। उक्त तीनों गवाहान की ओर से अभियुक्त राजु खां द्वारा प्रथम पीड़िता का अपहरण करने के उपरांत ब्यावर ले जाकर उसके साथ सम्भोग करने के तथ्य से इन्कार किया गया तो लोक अभियोजक की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुए है। इस सन्दर्भ में ब्यावर स्थित जिस मकान में राजु खां द्वारा पीड़िता को रखते हुए सम्भोग करने के आरोप लगाये गये है उस मकान के पडौसी पी0ड0-5 नेमीचन्द ने ऐसे किसी घटनाक्रम से इन्कार कर दिया एंव यह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। पी0ड0-4 डाक्टर ओ0पी0 दायमा द्वारा प्रथम पीड़िता की बलात्कार सम्बन्धी जांच होने पर प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 तैयार करना स्वीकार किया है परन्तु महिला चिकित्सक द्वारा की गई जांच के अनुसार पीड़िता का हायमन पुराना फटा हुआ था जिसमें दो अंगुली आसानी से प्रवेश कर रही थी तथा उसके योनि अथवा शरीर के किसी भाग पर कोई चोटों के निशान नहीं पाये गये थे। अनुसंधान अधिकारी पी0ड0-10 भरतलाल मीणा के अनुसार भी पीड़िता के मुंह, हाथ आदि पर कोई चोटें नहीं पायी गई थी एंव जननांग आदि पर चोटों के बारे में पीड़िता ने उसे कुछ नहीं बताया था। चिकित्सा अधिकारी ने पीड़िता के वेजाईनल स्वाब की स्लाईड सहित अन्य नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच हेतु भिजवाने की साक्ष्य देते हुए बलात्कार के सन्दर्भ में अन्तिम राय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक सुरक्षित रखना प्रकट किया है परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से आज तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की ऐसी किसी जांच रिपोर्ट को साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया जा सका है ऐसी स्थिति में बताये गये घटनाक्रम की पीड़िता, उसके माता व पिता के पक्षद्रोही होकर घटनाक्रम का समर्थन नहीं करने एवं बलात्कार के सन्दर्भ में कोई विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के कारण इस आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य

स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया है।

21- उपरोक्त घटनाक्रम के अन्तर्गत ही सुफियान नामक बाल अपचारी द्वारा द्वितीय पीड़िता को अपहरित कर ले जाने व लैंगिक सम्भोग करना बताया गया है परन्तु इस सन्दर्भ में सुफियान बाल अपचारी के विरूद्ध मामला किशोर न्यायबोर्ड में विचाराधीन है। हस्तगत मामले में द्वितीय पीड़िता व उसके माता पिता साक्ष्य में उपस्थित हुए है जिनकी साक्ष्य पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पीड़िता के पिता दिलीप पी0ड0-8 व माता पी0ड0-9 राजुदेवी घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। पी0ड0-6 द्वितीय पीड़िता ने मुख्य परीक्षण की द्वितीय पंक्ति में यह प्रकट किया है कि वह राजु खां को नहीं जानती थी। इसके अनुसार मेगी लेकर घर जाने के दौरान सुफियान द्वारा उसका हाथ पकड़ कर गाड़ी में बिठाया गया था तत्पश्चात आशीष स्कूल के सामने वाली रोड़ से राजु प्रथम पीड़िता को लेकर बैठा था परन्तु राजु खां द्वारा द्वितीय पीड़िता को जबरन गाड़ी में बिठाते समय सुफियान को सहयोग किया गया हो अथवा उसकी उपस्थिति तत्समय उस स्थल पर रही हो,ऐसा इस साक्षी का कथन नहीं रहा है एवं न ही ऐसा कोई कथन रहा है कि राजु खां द्वारा जोर जबरदस्तीपूर्वक प्रथम पीड़िता को गाड़ी में बिठाया गया हो। इसके अनुसार ब्यावर स्थित मकान पर ले जाने के उपरांत राजु प्रथम पीड़िता को लेकर छत पर चला गया था परन्तु राजु खां द्वारा प्रथम पीड़िता के साथ कोई छेड़छाड़ अथवा जोर जबरदस्ती की गई हो इस आशय का इस साक्षीया ने कोई कथन नहीं किया है एंव न ही इसका ऐसा कोई कथन रहा है कि उसे प्रथम पीड़िता ने ऐसे किसी घटनाक्रम में सन्दर्भ में बताया हो। इस साक्षीया ने स्वयं के साथ सुफियान द्वारा बलात्कार करना ज़ाहिर किया है परन्तु उस घटनाक्रम में राजु खां द्वारा कोई सहयोग किये जाने बाबत इसका कथन नहीं रहा है। प्रदर्श पी-5 के अनुसार घटना दिनांक-9/7/2013 को सुबह साढ़े आठ बजे की बतायी गई है एंव इसके अन्तर्गत भैरूलाल नामक चालक द्वारा कुजर गाडी में पीड़िताओं को ले जाने की जानकारी प्राप्त हो जाना भी उल्लेखित किया गया है परन्तु तत्काल घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हुए दिनांक-10/7/2013 को 3.00 पीएम पर प्रथम सूचना दर्ज करवाई गई है जिस देरी का कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं हुआ है। पी0ड0-8 दिलीप घटना के आगामी दिवस अर्थात दिनांक-10/7/2013 को सुबह साढ़े पांच बजे ब्यावर पहुंच कर राजु, प्रथम व द्वितीय पीड़िताओं को एक मकान से लेकर आया था जंहा से सुफियान भाग गया था परन्तु इस तथ्य की पुष्टि हेतु सम्बन्धित मकान के स्वामी को अभियोजन की ओर से साक्ष्य में पेश नहीं गया है एवं पडौसी पी0ड0-5 नेमीचन्द ने ऐसे घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया है। प्रथम पीड़िता व उसके माता पिता ने अभियुक्त राजु द्वारा अपहरित कर ले जाने के उपरांत लैंगिक सम्भोग करने से इन्कार कर दिया है तथा प्रस्तुत हुई अन्य साक्ष्य से भी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं होने के कारण अभियोजन पक्ष सन्देह से परे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजु खां के विरूद्ध आरोप प्रमाणित करने में सफल नहीं हो पाया है एवं प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त राजु खां द्वारा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य रहते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रथम पीड़िता की इच्छा को अधिशाषित करते हुए कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो।

<u>बिन्दू संख्या-2-</u>

22- अभियोजन पक्ष अभियुक्त राजु खां के विरूद्ध आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है इसलिए अभियुक्त आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

:: आ दे श ::

23- परिणामतः अभियुक्त राजु पिता रूस्तम खां मुसलमान निवासी पठान मोहल्ला, धरियावद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363 तथा 366, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-3/4 व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-3(xii) के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। नियमित उपस्थिति बाबत अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

24- अभियुक्त जमानत पर आजाद है जिसकी ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-437ए के अन्तर्गत अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति जमानत मुचलके पेश किये जा चुके है।

25- प्रकरण में चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किये गये नमूनों व जब्तशुदा कपड़ों को बाल अपचारी सुफियान से सम्बन्धित किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़ में लम्बित मामले के निस्तारण उपरांत बाद मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट कर दिये जावे।

26- पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में विचार किया गया। पीड़िता व उसके माता पिता के पक्षद्रोही होकर घटनाक्रम की पुष्टि नहीं करने से पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाये जाने बाबत अनुशंषा किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

(हेमन्त कुमार जैन)

27- निर्णय एंव आदेश आज दिनांक-01/04/2016 को लिखाया जाकर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हेमन्त कुमार जैन)